

**राज्यक सभा**  
**अतारांकित प्रश्ना संख्याक 1575**  
**11 मार्च, 2015 को उत्तर के लिए**

**इस्पात क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास में निवेश**

1575. श्री सी. एम. रमेश:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश की गति को बढ़ाने का निर्णय लिया है जो कि अभी तक एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात और खान राज्यो मंत्री**

**श्री विष्णु देव साय**

(क) और (ख): इस्पात मंत्रालय अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) पर अत्यधिक जोर देने के लिए इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) और केन्द्रन सरकार की योजनागत निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करके सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में आर एण्ड डी कार्यों को प्रोत्साहित कर रहा है।

एसडीएफ स्कीम के तहत 83 आर एण्ड डी परियोजनाओं को 696.27 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है , जिसमें एस.डी.एफ. सहायता 389.63 करोड़ रुपये है। इस्पात संयंत्रों द्वारा कुछ परियोजनाएं पहले ही क्रियान्वित कर ली गई हैं और वे उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा खपत में कमी और प्रदूषण इत्यादि की दृष्टि से लाभ अर्जित कर रही हैं। योजनागत निधि स्कीम के तहत 10 परियोजनाओं को 138.10 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था , जिसमें सरकारी सहायता 95.66 करोड़ रुपये निहित है। ये परियोजनाएं निम्न ग्रेड के लौह अयस्क और कोयला के बेनिफिसिएशन और उपयोग की प्रौद्योगिकियों का विकास करने तथा साथ ही इन्डक्शन फर्नेस के जरिये इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित हैं।

\*\*\*\*\*